न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं. 03 / 2024(GCMS 2024/ 9)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25 भगवन्त दास रोडड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शरद गौड (एन.सी.एल.टी.मुम्बई के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुसार एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का विलय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में हो गया)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

1. **अल्का कुक्कड़** पत्नी नीरज कान्त कुक्कड
2. **नीरज कान्त कुक्कड़** पुत्र श्री मुकन्द लाल कुक्कड़
   निवासी (क) नोर्थ पार्ट ऑफ प्लॉट नं. 49, ईस्ट पार्अ ऑफ प्लॉट नं. 50, गणपती नगर, मुरब्बा नं. 27, किला नं. 3, चक 6 ई छोटी, सेक्रेड हार्ट कान्वेंट स्कूल के पास, श्रीगंगानगर–335001

1 **अल्का कुक्कड़** पत्नी नीरज कान्त कुक्कड, नोसगे पब्लिक स्कूल, हनुमानगढ़ रोड़, बिरथलीयावाली, श्रीगंगानगर–335001

<u>20.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण अल्का कुक्कड, नीरज कुक्कड को ऋण सुविधा के रूप में कुल राशि 42,27,310/–रूपये, (अखरे रूपये बियालीस लाख सताईस हजार तीन सौ दस मात्र)(दिनांक 30.04.2013 को 10.00 लाख, 31.07.2014 को 10.00 लाख एवं दिनांक 27.09.2016 को 22,27,310/–) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी नीरज कान्त कुक्कड़ द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति नोर्थ पार्ट ऑफ प्लॉट नं. 49, ईस्ट पार्ट ऑफ प्लॉट नं. 50, गणपती नगर, (क्षेत्रफल 32.3 गुणा 50 फीट) मुरब्बा नम्बर 27, किला नं. 3, चक नं. 6–ई–छोटी, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि **प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थीगण अल्का कुक्कड़ एवं नीरज कान्त कुक्कड के विरूद्ध एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय में 96/2023 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना नहीं होने के कारण दिनांक 21.08.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था जिसके अंतिम पैरा में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

> **चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।
>
> **यह आदेश आज दिनांक [illegible]2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**
>
> sd-
> **(अंशदीप)**
> **जिला मजिस्ट्रेट**
> **श्रीगंगानगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि **प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2023 की पालना नही की गई।** इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.08.2023 में उक्त अधिनियम 2002 के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नये सिरे करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 21.08.2023 के पश्चात प्रार्थी बैंक ने पुनः प्रकरण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.02.2023 के साथ ही इस न्यायालय पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। **चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 21.08.2023 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में गुणदोष पर विचार नहीं किया जा रहा है।** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors. AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002** अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested